(31)

क्रम-संख्या--508

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग---1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 नवम्बर, 2000

कार्तिक 10, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2462/सत्रह-वि-1---1(क)-32-2000

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

(231)

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 3-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है; धारा 3-क में :—

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ख), (ग), (ग-1), (घ); और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल से भिन्न माल के संबंध में विक्रय धन पर, ऐसे स्थल पर और पचास प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे, लगाया जाएगा और भिन्न-भिन्न माल के संबंध में भिन्न-भिन्न स्थलों और भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है।

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल से भिन्न माल के संबंध में विक्रय धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर दस प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।"

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां राज्य सरकार ने घोषणा की है कि किसी स्थल या दर पर जिस पर कि अधिनियम के अधीन व्यापारी द्वारा देय कर को उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग); खण्ड (ग-1), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ); जैसा कि वह उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान था, के अधीन उद्गृहीत किया जाय और ऐसी घोषणा ऐसे प्रारम्भ पर प्रवृत्त है तो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् भी ऐसी दर या कर स्थल प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि उसे उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, स्पष्टीकरण में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) दूध में स्किम्ड दूध पाउडर, मक्खन या मक्खन तेल से तैयार किया गया पुनर्संगठित या पुनर्मिश्रित दूध शामिल है किन्तु कन्डेन्स्ड मिल्क या दूध पाउडर या बेबी दूध शामिल नहीं है;"

धारा 4-ख का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4-ख में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

"(2-क) जहां किसी विज्ञापित माल के संबंध में इस धारा के अधीन जारी कोई मान्यता प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ पर प्रवृत्त है और विज्ञप्ति को, जिसके द्वारा ऐसा माल विज्ञापित किया गया है, ऐसी विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व के दिनांक से प्रभावी किया गया है वहां ऐसे माल के संबंध में मान्यता प्रमाण-पत्र को, ऐसी विज्ञप्ति के प्रभावी होने के दिनांक से विधिमान्य समझा जायगा।"

धारा 8-क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 8-क में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (घ) में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (1-क) में,—

(एक) खण्ड (क) में, उपखण्ड (दो) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "पच्चीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिये जाएंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "पचास रुपये", "पच्चीस रुपये" और "पांच सौ रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक सौ रुपये", "पचास रुपये" और "एक हजार रुपये" रख दिये जाएंगे।

धारा 32 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् दाखिल किये गये इस अधिनियम के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र या अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा; चाहे वे कर-निर्धारण, अर्थदण्ड या अन्य कार्यवाहियों

जिससे ऐसी अपील या प्रार्थना-पत्र उत्पन्न हुआ हो, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ की गई हो :

(क) धारा 9 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर	विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का दो प्रतिशत किन्तु कम से कम एक सौ रुपया और अधिक से अधिक एक हजार रुपया।
(ख) धारा 10 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर	विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का साढ़े सात प्रतिशत किन्तु कम से कम पांच सौ रुपया और अधिक से अधिक दस हजार रुपया।
(ग) धारा 35 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर	पचास रुपया।
(घ) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर,—	
(1) जब वह व्यापार कर कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण को सम्बोधित हो	बीस रुपया।
(2) जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो	दस रुपया।

अनुसूची का निकाला जाना

7—मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची निकाल दी जायगी।

विज्ञप्तियों का संशोधन

8—(1) विज्ञप्ति संख्या क0सं0वि0-2-289/ग्यारह-9 (820)/92-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-99, दिनांक 12 फरवरी, 1999 में शब्द और अंक "दिनांक 15 फरवरी, 1999 से" के स्थान पर शब्द और अंक "दिनांक 1 अक्टूबर, 1997 से" रख दिये जायंगे और सदैव रखे गये समझे जायंगे।

(2) विज्ञप्ति संख्या क0सं0वि0-2-1728/ग्यारह-9(34)/98-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-98, दिनांक 30 जुलाई, 1998 में शब्द और अंक "दिनांक 1 अगस्त, 1998 से" के स्थान पर शब्द और अंक "दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से" रख दिये जायंगे और सदैव रखे गये समझे जायंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 2462 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-32-2000

Dated Lucknow, November 1, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 31, 2000.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 35 of 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

It is hereby enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Act, 2000. Short title

Amendment of section 3-A of U. P. Act no. 15 of 1948

2. In section 3-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act,

(*a*) in sub-section (1) *for* clauses (*b*), (*c*), (*c-1*), (*d*) and (*e*) the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*b*) on the turnover in respect of goods, other than the goods referred to in clause (*a*), at such point and at such rate, not exceeding fifty per cent, as the State Government may, by notification, declare, and different points and different rates may be declared in respect of different goods.

(*c*) on the turnover in respect of goods, other than those referred to in clause (*a*) or clause (*b*), at the point of sale by manufacturer or importer at the rate of ten per cent."

(*b*) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) Where the State Government has declared any point or rate at which the tax payable by a dealer under the Act be levied under clause (*b*), clause (*c*), clause (*c-1*), clause (*d*) or clause (*e*) of sub-section (1) as it existed immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Act, 2000 and such declaration is in force on such commencement, such rate or point of tax shall continue to be in force after such commencement, until modified or rescinded."

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, in the explanation, *for* clause (*b*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) Milk includes reconstituted or recombined milk prepared from skimmed milk powder, butter or butter oil but does not include condensed milk, powder or baby milk;";

Amendment of section 4-B

4. In section 4-B of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2-A) Where any recognition certificate issued under this section in respect of any notified goods is in force on the commencement of the Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Act, 2000 and the notification by which such goods has been notified is made effective from a date prior to the date of such notification, the recognition certificate in respect of such goods shall be deemed to be valid with effect from the date such notification has been made effective."

Amendment of section 8-A

5. In section 8-A of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*d*) *for* the words "one hundred rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (1-A),—

(*i*) in clause (*a*), in sub-clause (*ii*), in the proviso *for* the words "twenty five rupees" the words "fifty rupees" shall be *substituted*;

(*ii*) in clause (*b*) *for* the words "fifty rupees", "twenty five rupees" and "five hundred rupees" the words "one hundred rupees", "fifty rupees" and "one thousand rupees" shall respectively be *substituted*.

Amendment of section 32

6. In section 32 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) Subject to the provisions of sub-section (3), the fee payable on a memorandum of appeal or other application under this Act filed or moved on or after the date of the commencement of the Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Act, 2000, whether the assessment, penalty or other proceedings giving rise to such appeal or application were initiated before or after such commencement, shall be as follows:—

(*a*) On a memorandum of appeal under section 9.	Two per cent of the amount of tax, fee or penalty in dispute, subject to a minimum of one hundred rupees and a maximum of one thousand rupees.

(234)

(*b*) On a memorandum of appeal under section 10	Seven and half per cent of the amount of tax, fee or penalty in dispute, subject to a minimum of five hundred rupees and a maximum of ten thousand rupees,
(*c*) On an application under section 35	Fifty rupees
(*d*) On any other application,—	
(*i*) When addressed to the Commissioner or the Revising Authority or the Tribunal;	Twenty rupees
(*ii*) When addressed to any other officer or authority.	Ten rupees

Omission of the Schedule

7. The Schedule appended to the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of notifications

8. (1) In notification no. T.I.F.-2-289/XI-9(820)-92-U. P. Act-15-48-Order-99, dated February 12, 1999 *for* the words and figures "from February 15, 1999" the words and figures "from October 1, 1997" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted.*

(2) In notification no. T. I. F.-2-1728/XI-9(34)-98-U. P. Act-15-48-Order-98, dated July 30, 1998 *for* the words and figures "from August 1, 1998" the words and figures "from April 1, 1995" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 165 सा० विधा०—(2329)—2000—850 (मैक०)।

(235)